भारत में बालकों से सम्बंधित महत्वपूर्ण

कानूनी जानकारी

पोक्सो अधिनियम 2012 बालकों को यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया कानून है।

प्रमुख अपराध और सजा :-

धारा	अपराध		अपराध की प्रकृति	सजा के प्रावधान
धारा 7	यौन उत्पीड़न	बिना सहमती के किसी बालक के साथ शारीरिक संपर्क करना	जमानतीय	कम से कम 3 साल की सजा जो 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना
धारा 9	गंभीरयौन उत्पीड़न	जो किसीविशिष्ट व्यक्तिद्वारा किया गया हो,जैसे पुलिस अधिकारी , शिक्षक ,डॉक्टर ,आदि	जमानतीय	कम से कम 5 साल की सजा जो 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना
धारा 10	गंभीर बाल यौन शोषण	बालक के साथ बलात्कार या गंभीर यौन शोषणके लिए मजबूर करना	अजमानतीय	कम से कम 10 साल की सजा जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना
धारा 11	लैंगिक उत्पीड़न	किसी बालक के सामने अश्लील बातें करना	जमानतीय	1से 3 साल तक की सजा और जुर्माना
धारा 13	अश्लील साहित्य	किसी बालक की अश्लील तस्वीरें लेना ,बनाना ,वितरित करना या उसे देखने के लिए मजबूर करना	जमानतीय	3साल की सजा और जुर्माना ।दोबारा अपराध करने पर 5 साल की सजा और जुर्माना

बाल विवाह को रोकने के लिए विशेष कानूनी प्रावधान हैं जो बाल विवाह निषेध अधिनियम ,2006 के तहत बाल विवाह को अवैध घोषित किया गया है |इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित धाराएँ है-:

विवाह की उम्र- लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष|

धारा9	बाल विवाह करने वाले व्यक्ति की सजा	यदि कोई बालक)21 वर्ष से कम (और बालिका) 18 वर्ष से कम (का विवाह कराता है ,तो उस व्यक्ति को 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है।
धारा10	बाल विवाह में सहयोग करने वाले लोगों की सजा	2साल की सजा या एक लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों
धारा11	माता-पिता या अभिभावक की सजा	2साल की सजा या एक लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों
धारा12	विवाह का शून्यकरण	अगर कोई बालक या बालिका ,जो बाल विवाह का शिकार हुआ है ,तो लड़का-लड़की में से कोई भी बालिग़) 18 वर्ष से अधिक (होने के 2 वर्ष बाद तक अदालत में याचिका दायर कर विवाह शून्यकरण करवा सकते है
धारा13	बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारी	सामान्यत SDM/तहसीलदार को यह पद दिया गया है तथा शादियों के अबूझ मुहूर्त जैसे अक्षय तृतीया के समय इस पद की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर के पास होती है ,जो रोकथाम ,जागरूकता फ़ैलाने और आवश्यक कार्यवाही के लिए जिम्मेदार होंगे।
धारा15	अभियोजन और कानूनी कार्यवाही	इसके लिए कोई सीमा नहीं है ,ऐसे मामलें किसी भी समय दर्ज किये जा सकते है।
धारा16	बाल-विवाह से उत्पन्न बच्चों के अधिकार	उन्हें भी अपने माता-पिता की संपत्ति में वो अधिकार मिलेंगे जो अन्य वैध बच्चों को मिलते हैं।

- भारत में" शिक्षा का अधिकार "को संविधान के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है । इसके लिए" शिक्षा का अधिकार अधिनियम ,2009 "लागू किया गया है।

धारा3	नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार	6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को अपने नजदीकी स्कूल में निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।
धारा17	शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न पर प्रतिबंध	ऐसा करना पर स्कूल प्रसाशन के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।
धारा21	स्कूल प्रबंधन समिति	जिसमे स्थानीय अभिभावकों और शिक्षकों को शामिल किया जायेगा।

नोट -: अभियुक्त की गिरफ़्तारीया वारन्ट या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं की जा सकती।

- संज्ञेय - ये वो अपराध है जिसमें पुलिस मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना भी अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार रखती है।
- असंज्ञेय - इस तरह के अपराधों में पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार नहीं कर सकती है।
- जमानतीय - अपराधी को जमानत देकर रिहा होने का अधिकार तथा पुलिस द्वारा भी जमानत देने का अधिकार है।
- अजमानतीय - मजिस्ट्रेट के द्वारा ही आदेश देने पर जमानत पर रिहाई संभव है।

हमारा कानून, हमारा अधिकार

राजसमन्द जन विकास संस्थान (महिला मंच) द्वारा जनहित में जारी

राजसमन्द जन विकास संस्थान (महिला मंच)

सोमनाथ चौराहा, नाथद्वारा रोड़, कांकरोली , जिला राजसमन्द 313324,

फोन नं.- 02952-221909, ई-मेल :- rjvs10@yahoo.in, वेबसाईट: www.rjvs.in